

# कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

पत्रांक : 9/उपा०/बीज/अनु०—९८/२०१७

/क० पटना दिनांक

, २०१७

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय भा.प्र.से.  
कृषि निदेशक,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स पंत नगर सीड्स प्रा० लि०,  
(काशीपुर, उत्तराखण्ड)  
द्वारा— अनिल कुमार, सुनील कुमार  
सिकन्दरपुर, नियर पानी टंकी,  
भागलपुर

विषय :— बीज बिक्री हेतु नयी बीज अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

आपसे प्राप्त प्रपत्र— 'ए' कोषागार चालान, स्थल जांच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर बिहार राज्य में बीज बेचने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन क्रमांक—७ के लिए पंजीकरण किया जाता है—

1. बीज अधिनियम १९६६ के सभी धाराओं को आप पूरा—पूरा पालन करेंगे।
2. बीज बिक्री एवं भंडारण का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशालय को हर माह के २० तारीख तक भेजें। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
3. बीज नियंत्रण आदेश १९८३ के अन्तर्गत घोषित बीज समय—समय पर बीज नमूना जांच के लिए लेंगे।
4. हर बिक्री के लिए अलग पंजीकरण कर दें। बिक्री केन्द्रों की संख्या में यदि वृद्धि करें तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी को देते हुए उसकी पंजीकरण के लिए १५ दिनों के अंदर आवेदन पत्र दें अन्यथा अवैध ढंग से व्यापार करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
5. बीज बिक्री हेतु बीज विक्रेता नियुक्त कर सकते हैं।
6. पंजीकरण प्रमाण—पत्र संख्या ५९/२०१७ संलग्न है।
7. राज्य के लिए केवल अनुशंसित/अधिसूचित संलग्न सूची के फसल प्रभेदों का ही व्यापार करेंगे।
8. पंजीकरण की वैद्यता तिथि ३१/१०/२०२० तक मान्य है।
9. कृषि निदेशालय के ज्ञापांक— २४०८ दिनांक— ०९.०६.२०१७ से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गयी है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनु०— बीज की सूची एवं प्रपत्र 'बी' संलग्न।

विश्वासभाजन

ह०/-

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार पटना।

दिनांक— ०१—११—१५

ज्ञापांक : ६५१५

प्रतिलिपि:- १. संयुक्त निदेशक (शब्द) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शब्द)/उप निदेशक (शब्द) बीज/उप निदेशक (शब्द) मुख्यालय/उप निदेशक (शब्द) फसल/उप निदेशक (शब्द) तेलहन/उप निदेशक (शब्द) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शब्द) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

✓ 2. आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड एवं ई—मेल करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार पटना।